युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

मांग संख्या 88

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

क. वसूलियों को घटाने के बाद बजट आवंटन इस प्रकार हैः

(करोड़ रुपए)

	मुख्य शीर्ष	बजट 2001-2002			संशोधित 2001-2002			बजट 2002-2003		
		आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़	आयोजना	आयोजना-भिन्न	जोड़
राजस्व		253.20	59.97	313.17	266.03	54.28	320.31	276.77	54.36	331.13
पूंजी		*1.80*	*0.03*	*1.83*	*1.80*	*0.03*	*1.83*	*8.23*	*0.03*	*8.26*
जोड़		**255.00**	**60.00**	**315.00**	**267.83**	**54.31**	**322.14**	**285.00**	**54.39**	**339.39**
1. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	2251	0.30	5.39	5.69	0.30	4.95	5.25	0.35	4.91	5.26
खेल और युवा सेवाएं										
युवा कल्याण योजनाएं										
2. नेहरू युवा केन्द्र संगठन	2204	23.23	17.18	40.41	23.23	15.40	38.63	28.38	15.59	43.97
3. राष्ट्रीय सेवा योजना	2204	4.37	3.07	7.44	4.37	2.77	7.14	4.37	2.77	7.14
	3601	19.45	2.87	22.32	18.45	2.58	21.03	19.00	2.62	21.62
	3602	0.03	0.06	0.09	0.03	0.05	0.08	0.03	0.05	0.08
	जोड़	*23.85*	*6.00*	*29.85*	*22.85*	*5.40*	*28.25*	*23.40*	*5.44*	*28.84*
4. राष्ट्रीय अनुशासन योजना	3601	...	5.00	5.00	...	4.40	4.40	...	4.50	4.50
5. राष्ट्रीय सेवा स्वंयसेवी स्कीम	2204	5.40	...	5.40	5.40	...	5.40	5.40	...	5.40
6. राष्ट्रीय समेकन कार्यक्रम	2204	4.50	...	4.50	4.00	...	4.00	3.40	...	3.40
7. युवा होस्टल	2204	0.15	...	0.15	0.15	...	0.15	0.20	...	0.20
	4202	1.80	...	1.80	1.80	...	1.80	1.40	...	1.40
	जोड़	*1.95*	*...*	*1.95*	*1.95*	*...*	*1.95*	*1.60*	*...*	*1.60*
8. राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान	2204	1.00	0.30	1.30	1.00	0.27	1.27	2.00	0.27	2.27
9. राष्ट्रीय पुनर्निमाण कार्य	2204	10.80	...	10.80	10.80	...	10.80	16.20	...	16.20
10. अन्य योजनाएं	2204	11.03	2.21	13.24	11.03	1.99	13.02	13.94	1.51	15.45
	3601	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10	0.10	...	0.10
	4202	...	...	...	...	...	...	0.81	...	0.81
	जोड़	*11.13*	*2.21*	*13.34*	*11.13*	*1.99*	*13.12*	*14.85*	*1.51*	*16.36*
जोड़-युवा कल्याण योजनाएं		**81.86**	**30.69**	**112.55**	**80.36**	**27.46**	**107.82**	**95.23**	**27.31**	**122.54**
खेल एवं खेल-कूद										
11. भारतीय खेल प्राधिकरण	2204	81.33	17.41	98.74	94.16	15.70	109.86	88.23	15.97	104.20
12. लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान	2204	4.00	3.00	7.00	4.00	2.70	6.70	3.00	2.70	5.70
13. शारीरिक शिक्षा के लिए अखिल भारतीय संघ	2204	...	...	...	...	...	...	0.10	...	0.10
14. राजीव गांधी खेल रत्न पुरुस्कार	2204	...	...	...	...	...	...	0.07	...	0.07
15. अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं आदि में विजेताओं को पुरुस्कार	2204	...	...	...	...	...	...	1.80	...	1.80
16. खेल गतिविधियों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन	2204	1.95	...	1.95	2.01	...	2.01	5.09	...	5.09
17. खेल छात्रवृत्ति स्कीम	2204	3.60	...	3.60	3.60	...	3.60	3.44	...	3.44
18. होनहार खिलाडियों की सहायता योजना इत्यादि	2204	1.00	...	1.00	0.93	...	0.93	2.27	...	2.27
19. राष्ट्रीय खेल संघ को सहायता	2204	15.50	2.00	17.50	26.50	2.00	28.50	27.00	2.00	29.00
20. अफ्रीकी-एशियाई खेल	2204	20.00	...	20.00	10.10	...	10.10	0.10	...	0.10
21. खेल आधारभूत ढांचे के निर्माण	3601	6.25	...	6.25	6.25	...	6.25	7.90	...	7.90
हेतु अनुदान	3602	0.25	...	0.25	0.25	...	0.25	...	...	...
	जोड़	*6.50*	*...*	*6.50*	*6.50*	*...*	*6.50*	*7.90*	*...*	*7.90*
22. खेल के मैदानों इत्यादि के विकास हेतु ग्रामीण स्कूलों को अनुदान	2204	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	3.00	...	3.00
23. विश्वविद्यालय तथा कालेजों में खेलों के संवर्धन हेतु अनुदान	2204	4.50	...	4.50	5.50	...	5.50	5.60	...	5.60
24. सिन्थेटिक खेल सतहें बिछाने के लिए अनुदान	2204	5.40	...	5.40	3.85	...	3.85	3.81	...	3.81
25. खेल-गतिविधियों के संवर्धन हेतु प्रोत्साहन	2204	3.60	...	3.60	3.55	...	3.55	...	...	...
26. अन्य योजनाएं	2204	0.01	1.32	1.33	0.02	1.32	1.34	2.48	1.32	3.80
	4202	...	0.03	0.03	...	0.03	0.03	6.02	0.03	6.05
	जोड़	*0.01*	*1.35*	*1.36*	*0.02*	*1.35*	*1.37*	*8.50*	*1.35*	*9.85*
जोड़-खेल और खेल-कूद		**149.39**	**23.76**	**173.15**	**163.72**	**21.75**	**185.47**	**159.91**	**22.02**	**181.93**
27. अन्य कार्यक्रम	2204	...	0.16	0.16	...	0.15	0.15	...	0.15	0.15
28. पूर्वोत्तर क्षेत्र एवं सिक्किम की योजना/	2552	23.45	...	23.45	23.45	...	23.45	29.51	...	29.51
परियोजना के लिए एक मुश्त प्रावधान	4552	...	...	...	...	...	...	...	...	...
	जोड़	*23.45*	*...*	*23.45*	*23.45*	*...*	*23.45*	*29.51*	*...*	*29.51*
कुल जोड़		***255.00***	***60.00***	***315.00***	***267.83***	***54.31***	***322.14***	***285.00***	***54.39***	***339.39***

ग. आयोजना परिव्यय	विकास शीर्ष	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं	जोड़	बजट समर्थन	आं.ब.बा.सं.	जोड़
1. खेल और युवा कार्य	22204	231.25	...	231.25	244.08	...	244.08	255.14	...	255.14
2. सचिवालय-सामाजिक सेवाएं	22251	0.30	...	0.30	0.30	...	0.30	0.35	...	0.35
3. पूर्वोत्तर क्षेत्र	22552	23.45	...	23.45	23.45	...	23.45	29.51	...	29.51
जोड़		**255.00**	**...**	**255.00**	**267.83**	**...**	**267.83**	**285.00**	**...**	**285.00**

1. **सचिवालय-समाजिक सेवाएं** : इसमें सचिवालय के व्यय के लिए व्यवस्था की गई है।

2. **नेहरू युवा केन्द्र संगठन** : नेहरू युवा केन्द्र संगठन इस मंत्रालय का केन्द्रीय स्वायत्त निकाय है जिसके अन्तर्गत जिलों में नेहरू युवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं । यह एशिया-प्रशांत क्षेत्र में निचले स्तर का सबसे बड़ा संगठन है जो 15-35 वर्ष के आयु वर्ग में आने वाले 80 लाख से अधिक युवाओं की आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है। यह संगठन मुख्य रूप से युवा नेतृत्व, प्रशिक्षण, सामुदायिक सेवा कार्यक्रमों, व्यावसायिक प्रशिक्षण, खेल-कूद तथा मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यकलापों, अनौपचारिक शिक्षा आदि कार्यक्रमों के माध्यम से गैर-छात्र ग्रामीण युवाओं के कार्यकलापों को अतिरिक्त बल देने के लिए कार्य कर रहा है ।

3. **राष्ट्रीय सेवा योजना** : यह योजना 1969-70 में विश्वविद्यालयों, कालेजों और उच्चतर शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है। योजना पर होने वाला व्यय जम्मू और कश्मीर सरकार व बिना विधान मंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मामले के अतिरिक्त, जहां पूरा व्यय केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है भारत सरकार तथा राज्यों के बीच 7:5 के आधार पर बांटा जाता है। राष्ट्रीय सेवा योजना में इस के स्वयंसेवकों द्वारा अपनाए गए दो प्रकार के कार्यक्रम हैं अर्थात "नियमित गतिविधियां" और "विशेष कैंपिंग कार्यक्रम"। "नियमित गतिविधियों" के अंतर्गत विद्यार्थियों से लगातार दो वर्ष की अवधि के लिए स्वयंसेवक के रूप में कार्य करने, न्यूनतम 120 घंटे प्रतिवर्ष के लिए सामुदायिक सेवा प्रस्तुत करने की आशा की जाती है। इन गतिविधियों में परिसर का सुधार, वृक्षारोपण, अपनाए गए गांवों और गंदी बस्तियों में निर्माण कार्य, कल्याण संस्थाओं में कार्य, रक्तदान, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषाहार, परिवार कल्याण, एड्स जागरुकता अभियान आदि शामिल है। "विशेष कैंपिंग कार्यक्रम" में प्रतिवर्ष अपनाए गए क्षेत्रों में "वानिकीकरण और वृक्षारोपण हेतु युवा" "ग्रामीण पुर्ननिर्माण के लिए युवा", "विकास के लिए युवा" "जन साक्षरता के लिए युवा" "सामाजिक सदभावना के लिए युवा" "संपोसित विकास के लिए युवा" (बंजर भूमि विकास पर विशेष ध्यान सहित) तथा "जलाशय प्रबंध" जैसे विशेष विषयों पर 10 दिन की अवधि वाले कैंप आयोजित किए जाते हैं। नये मिलेनियम, विशेष कैम्पिंग के लिए इसका विषय है "स्वस्थ समाज के लिए युवा" । जो वर्ष 1999 से शुरू की गईं थी। इस वर्ष का विषय था "स्वस्थ समाज के लिए युवा" ।

4. **राष्ट्रीय अनुशासन योजना (एन.डीएस.)** : इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार, भूतपूर्व राष्ट्रीय फिटनेस योजना के अधीन नियोजित राष्ट्रीय अनुशासन योजना के प्रशिक्षकों के वेतनों तथा भत्तों के व्यय और अन्य प्रासंगिक व्ययों की पूर्ति की व्यवस्था करती है ।

5. **राष्ट्रीय स्वेच्छा सेवा स्कीम** : 1977-78 में शुरू की गई राष्ट्रीय स्वेच्छा सेवा स्कीम का उद्देश्य उन विद्यार्थियों जिन्होंने प्रथम उपाधि पूरी कर ली है, और एक निश्चित अवधि के लिए पूर्ण-कालिक आधार पर राष्ट्र निर्माण की गतिविधियों में स्वैच्छिक आधार पर शामिल होने का संकल्प किया है, को अवसर प्रदान करना है।

6. **राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम** : इस स्कीम के अन्तर्गत, युवा कार्य और खेल मंत्रालय स्वैच्छिक संगठनों, शैक्षणिक संस्थाओं, एन.एस.एस. और एन.वाई. के.एस. को देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय समेकन शिविरों को आयोजित किए जाने के लिए, राज्यों में परस्पर निरीक्षण-दौरों, वाद-विवाद परिचर्चाओं, सम्मेलनों, अनुसन्धान प्रकाशन, क्षेत्रीय तथा आँचलिक पर्वों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा अन्य गतिविधियों, जिन सभी का उद्देश्य साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयवाद, भाषिक उग्रराष्ट्रीयवाद और अन्य विभाजक प्रवृत्तियां के विरुद्ध लड़ना है, सहायता प्रदान करता है।

7. **युवा छात्रावास** : युवा छात्रावासों का निर्माण युवा यात्रा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। यात्रा करने में युवा अपने देश की विभिन्नता का अनुभव प्राप्त करने के लिए, विगत कालीन गौरव स्मारकों के साथ-साथ इसके प्राकृतिक सौन्दर्य से अवगत होते हैं जो राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन करता है। ऐसे छात्रावासों का निर्माण केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच संयुक्त उद्यम स्वरूप किया गया है जबकि केन्द्रीय सरकार निर्माण-कार्य की लागत व्यय का वहन करती है, राज्य सरकार जल, विद्युत, सुगम्य सड़क मार्ग और कर्मचारी वर्ग क्वार्टरों सहित निःशुल्क लागत की विकसित भूमि प्रदान करती है।

8. **राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान** : राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, प्रशिक्षण, प्रलेखीकरण, अनुसंधान और मूल्यांकन तथा देश में युवाओं से सबद्ध सभी कार्यकलापों के विस्तार हेतु उत्तरदायी युवा विकास के लिए एक स्वायत्तशासी निकाय है।

9. **राष्ट्रीय पुनर्निर्माण कोर स्कीम** : इस स्कीम का उद्देश्य राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भागीदारी के लिए उन युवाओं को अवसर प्रदान करना है जिन्होंने अपनी मैट्रिक तक शिक्षा पूरी कर ली है। एनआरसी स्वयंसेवकों को सामुदायिक तथा राष्ट्रीय विकास से संबंधित विशेष परियोजनाओं मे नेहरू युवा केन्द्र संगठन द्वारा लगाया जाएगा। वालंटियरों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होगी। वालंटियरों को यात्रा खर्च सहित 1000/- रु. प्रति माह वृत्तिका दी जाएगी। स्कीम को दो वर्ष के लिए पायलट आधार पर केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम के रूप में शुरू किया गया है। पहले वर्ष में एनआरसी स्कीम के कार्यान्वयन के लिए 80 चुनिंदा पिछड़े जिलों की पहचान की गई है।

10. **अन्य युवा कल्याण कार्यकलाप** : इसके अन्तर्गत संस्कृति आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत युवा प्रतिनिधि मंडलों के अन्तर्राष्ट्रीय आदान-प्रदान, युवा कल्याण कार्यों में संलग्न स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता, राष्ट्रीय युवा पुरस्कार, साहसिक स्काउटिंग, गाइडिंग संवर्धन योजना, राष्ट्रमंडल युवा कार्यक्रम, युवा क्लबों को वित्तीय सहायता और पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र स्वयंसेवक कार्यक्रमों को अंशदान के लिए प्रावधान शामिल हैं। दो नयी योजनाएं (i) किशोरों के लिए कल्याण और विकास योजना तथा (ii) राष्ट्रीय/राज्य स्तर के युवा केन्द्रों की स्थापना भी 2002-03 के दौरान शुरू की जा रही है।

11. **भारतीय खेल प्राधिकरण** : भारतीय खेल प्राधिकरण एक स्वायत्तशासी निकाय है जिसमें अनेक योजना स्कीमों को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें खेल कूद की प्रतिभाओं का पता लगाने और उन्हें विकसित करने, विशेष क्षेत्रों में खेल-कूद को प्रोत्साहन देने, खेल-कूद उपस्करों का एक केन्द्रीय पूल बनाना, महिला खेलों, ग्रामीण खेलों, खेल छात्रवृत्तियों को प्रोत्साहन, राष्ट्रीय प्रशिक्षु कैम्पों का संचालन, स्टेडियमों के प्रबन्धन के अलावा खेल छात्रावासों की स्थापना तथा उनका प्रबन्धन शामिल है।

12. **लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान** : संस्थान को समविश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशानुसार अब संस्थान को इसकी विभिन्न खेल सम्बन्धित गतिविधियों के लिए सीधे अनुदान जारी किए जाएंगे।

13. **अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद्** : अखिल भारतीय शिक्षा परिषद एक वैज्ञानिक संस्था होगी जो देश में शारीरिक शिक्षा संबंधी कार्यों को देखेगी तथा शारीरिक शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर भारत सरकार तथा उनके माध्यम से राज्य सरकारों को परामर्श देगी।

14. **राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार** : यह योजना खिलाडियों को ऊंचा दर्जा प्रदान करने हेतु सम्मानित करने तथा समाज में उन्हें अधिक गरिमा तथा सम्मान प्रदान करने के लिए आरंभ की गयी थी। इस योजना के अन्तर्गत किसी खिलाड़ी द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा टीम के रूप में खेल के किसी भी क्षेत्र में उल्लेखनीय और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए 3.00 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाती है।

15. **अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में जीतने वाले खिलाड़ियों को विशेष पुरस्कार** : ओलिम्पिक, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल क्षेत्रों में विशिष्ट अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतनेवाले खिलाडियों को 75,000/- रुपये से लेकर 15,00,000/- रुपये तक के विशेष नकद पुरस्कार प्रदान किये जाते हैं। ये पुरस्कार विक्टरी इंचों तथा बिल्यार्ड तथा स्नोकर के लिए भी दिये जाते हैं। विश्व, एशियाई तथा राष्ट्रमंडल चैपिंयनशिप के पुरस्कार जीतने वाले जूनियर खिलाडियों को भी विशेष पुरस्कार दिये जाते हैं।

16. **खेलकूद गतिविधिय़ों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन** : उत्कृष्ट खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा स्कूल स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए भी सहायता देने के लिए एक पैकेज प्रोत्साहन स्कीम तैयार की गई है।

17. **खेलकूद छात्रवृत्ति योजना** : इस योजना का उद्देश्य स्कूल, कालिज, विश्वविद्यालय, राज्य, राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए होनहार युवा लड़कों और लड़कियों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के अन्तर्गत खिलाड़ियों

को सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे पौष्टिक आहार और खेलकूद का सामान ले सकें तथा खेल को एक कैरियर के रूप में अपना सकें।

18. **होनहार खिलाडियों तथा सहायक व्यक्तियों को सहायता :** इस योजना के अन्तर्गत होनहार खिलाडियों को प्रशिक्षण तथा विदेशों में होनेवाले टूर्नामेंटों में भाग लेने के लिए, उपकरणों की खरीद, वैज्ञानिक सहायता तथा देश के अन्दर होने वाले टूर्नामेंटों में भाग लेने तथा प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान की जाती हैं। इसके साथ ही सहायक व्यक्तियों को खेल के किसी विशेष क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण हेतु तथा सम्मेलनों और गोष्ठियों में भाग लेने, प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में उपस्थित होने तथा परीक्षा आदि में भाग लने के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

19. **खेलकूद संघों को अनुदान** : खेल-कूद संघों को अनुदान प्रशिक्षु कैम्पों, वरिष्ठों, कनिष्ठों तथा उप-कनिष्ठों के लिए राष्ट्रीय चैम्पियनशिप का आयोजन तथा खेल-कूद के सामान की खरीद करके अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद आयोजनों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय टीमों को तैयार करने के लिए है।

20. **एफ्रो-एशियाई खेल** : एफ्रो-एशियाई खेलों, जो नवम्बर, 2001 में आयोजित किये जाने थे, के संचालन के लिए एक योजना शुरू की गयी थी जिस का उद्देश्य खेलों के संचालन के लिए आयोजन समिति तथा खेलकूद संबंधी संरचना के उन्नयन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को सहायता प्रदान करना था।

21. **खेलकूद आधारभूत संरचना का सर्जन** : यह योजना राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के टूर्नामेंटों तथा मैचों का आयोजन करने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने, खेल के मैदानों का विकास करने, जिमनास्टिक के स्टेडियमों तथा तरणतालों का निर्माण करने आदि के लिए तैयार की गई है। अनुदान केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/प्रायोजकों के बीच हिस्सेदारी पर आधारित है ।

22. **खेलकूद उपकरणों की खरीद तथा खेल मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण विद्यालयों को अनुदान** : यह खेलकूद आधारभूत संरचना के सृजन हेतु अनुदान की मुख्य योजना की एक उपयोजना है। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों, जिनके पास एक अपेक्षित आकार का खेल का मैदान है, तथा नियमित रूप से शारीरिक शिक्षा अध्यापक नियुक्त है, को खेल के मैदान के विकास तथा खेलकूद सामग्री की खरीद के लिए 1.50 लाख रुपये तक की अधिकतम अनुदान सहायता प्रदान की जाती है।

23. **विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान** : विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को अनुदान विश्वविद्यालयों में खेलों तथा खेलों के आधारभूत ढांचे के संवर्धन के लिए दिए जाते हैं । योजनाओं का कार्यान्वयन यू.जी.सी., भारतीय विश्वविद्यालय संघ तथा भारतीय खेल प्राधिकरण के माध्यम से किया जाता है ।

24. **सिंथेटिक ट्रैक और सतह का बिछाना** : हमारी टीमों को कृत्रिम ट्रैकों और एस्ट्रो सतह बिछे खेल के मैदानों के उपयोग से अवगत कराने के लिए इस योजना के अन्तर्गत देश के विभिन्न क्षेत्रों में कृत्रिम ट्रैक व्यवस्थापन तथा कृत्रिम सतह बिछाने की व्यवस्था व्यापक स्तर पर की जाएगी।

25. **खेल कूद गतिविधियों के संवर्द्धन के लिए प्रोत्साहन-** असाधारण खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करने तथा स्कूल स्तर की प्रतिस्पर्धाओं के लिए भी सहायता प्रदान करने के लिए एक पैकेज प्रोत्साहन योजना बनाई गई है।

26. **अन्य योजनाएं/कार्यक्रम :** इस के अन्तर्गत ग्रामीण खेल कार्यक्रम, खेल योजनाओं का मूल्यांकन, महिलाओं के लिए राष्ट्रीय खेल चैम्पियनशिप, खेल और शारीरिक शिक्षा टीमों विशेषज्ञों का आदान-प्रदान, केन्द्रीय विद्यालयों में एनसीसी केडेटों तथा अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद के लिए अनुदान आदि शामिल है। 2002-2003 से राज्य खेल अकादमी और मादक औषधि परीक्षण स्कीम नामक दो नयी योजनाएं शुरू की जा रही हैं।

27. **अन्य कार्यक्रम :** इस "लघु शीर्ष" के अन्तर्गत मंत्रालय के लिए सम्मेलनों और बैठकों के आयोजन के लिए व्यय का प्रावधान है।

28. **उत्तर पूर्व और सिक्किम के लिए योजनाओं हेतु एक मुश्त प्रावधान:** इसके अन्तर्गत उत्तर पूर्वी क्षेत्र तथा सिक्किम के लिए प्रावधान की व्यवस्था है।